न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

/22

	तारीख दायरा	तारीख फैसला
	07.09.2022	19.12.2022

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

बरजी बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी स्व0 रामकुवार जाति कीर निवासी खेडली परसराम तहसील दीगोद

(वादी)

वनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 287 की 0.72 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि वादनी का विवाह 7–8 वर्ष की उम्र मेंही राम कुवार के साथ हुआ था। किन्तु शादी के बाद ही वादनी के पति रामकुवार जी का स्वर्गवास हो गया और रामकुवार की मृत्यू के बाद से वादनी अपने पिता के पास ही निवास कर रही है। इस कारण वादनी के समस्त कागजात व दस्तावेजात में पिता का नाम ही अंकित है। यह कि वादनी को विधवा कोटे में उक्त भूमि आवंटन की गयी थी इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बरजी पत्नी स्व0 रामकुवार अंकित है। जबकि वादनी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी में ,परिवार कार्ड में वादनी का नाम बरजी बाई पुत्र घांसीलाल अंकित है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में बरजी पत्नी स्व0 रामकुवार अंकित होने के कारण वादनी अपने खाते की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बरजी पत्नी स्व0 रामकुवार के स्थान पर बरजीबाई पत्नी रामकुवर, पुत्र घांसीलाल दर्ज किया जाना जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 27.08.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद के खसरा नम्बर
7 की 0.72 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बरजी पत्नी स्व0 रामकुवार के स्थान पर बरजी
त्नी स्व0 रामकुवार , पुत्री घांसीलाल दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की
प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादनी का नाम बरजी बाई पत्नि रामकुवार पुत्री घांसीलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 287 की 0.72 है0 भूमि में वादनी का नाम बरजी पत्नी स्व0 रामकुवार के स्थान पर बरजी उर्फ बरजी बाई पत्नि स्व0 रामकुवार, पुत्री घांसीलाल किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned with OKEN Scanner